संख्या-2/2017/247/छ:ना0सु0-17-1बजट/16टीसी

प्रेषक,

मनोज मिश्र,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 26 अप्रैल, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिये स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के सम्बन्ध् में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02-01-2017 व शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20-03-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माह के लिये स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष आय-व्ययक की अनुदान संख्या-27 के 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-106 सिविल रक्षा के अन्तर्गत रू0-623.18 लाख अर्थात् रू0-6,23,18,000/- (रू0 छः करोड़ तेइस लाख अठ्ठारह हजार मात्र) की धनराशि, जिसका शीर्षक एवं मदवार विवरण संलग्न है, को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु वित्त विभाग के उक्त शासनादेश व कार्यालय-ज्ञाप में वर्णित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त के सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाय कि जब तक अतिरिक्त धनराशि की कोई व्यवस्था न हो, प्रदर्शित की गयी धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न की जाय।

3- स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग कर ली जाय, जो सामान्यत: दो माह की आवश्यकता से अधिक न हो।

4- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों, नवीनतम शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मित0-1/2014 दिनांक 07-01-2005 एवं शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009-मित0-1/2017 दिनांक 26-10-2009 का विशेष रूप से पालन किया जाय, ताकि अपव्यय को रोका जा सके। अत: यात्रा व्यय, टेलीफोन व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं ईंधन पर व्यय की मदों के अन्तर्गत होने वाले व्यय को इस प्रकार नियोजित किया जाय, जिससे यथासम्भव आवंटित धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय को पूरा किया जा सके और स्वीकृत धनराशि का व्यय समान रूप से प्रतिमाह सीमित रखते हुए पूरे वित्तीय वर्ष के लिये किया जाय।

5- प्रत्येक माह के व्यय की सूचना अगले माह की 05 तारीख तक निश्चित रूप से शासन को उपलब्ध करा दें तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को वितरित की जाने वाली धनराशि को वितरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

6- उक्त के अतिरिक्त यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

7- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज मिश्र)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या-2/2017/247(1)/छ:ना0सु0-17-1बजट/16टीसी, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :---

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा -परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।
6- वित्त (बजट) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन। (3 प्रतियों में)
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील यादव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेशा संख्या-2/2017/247/छ:ना0सु0-17-1बजट/16टीसी
दिनांक 26 अप्रैल, 2017 का संलग्नक

शीर्षक/मद	वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुमान (धनराशि लाख रूपए में)	वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुमान (धनराशि लाख रूपए में) का 5/12 भाग	आवंटित की जानी वाली धनराशि (धनराशि लाख रूपये में)
1	2	3	4
अनुदान संख्या-27 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर 106-सिविल रक्षा 03 राज्य मुख्यालय स्थापना 0301-सामान्य			
01-वेतन	50.06	20.86	9.86
03-महंगाई भत्ता	2.50	1.05	0.50
04-यात्रा व्यय	0.20	0.08	0.04
06-अन्य भत्ते	3.90	1.63	0. 80
07-मानदेय	0.10	0.04	-----
08-कार्यालय व्यय	0.40	0.17	0.10
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.15	0.06	0.0 6
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.30	0.12	0.06
46-कम्प्यूटर/हार्डवेयर/सॉफटवेयर का क्रय	0.01	-----	-----
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.01	------	-----
49-चिकित्सा व्यय	1.00	0.42	0.21
51-वर्दी व्यय	0.04	0.01	0.01
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	3.02	-----	-----
योग-0301	**61.69**	**24.44**	**11.64**
0302-भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत			
01-वेतन	147.60	61.50	61.50
03-महंगाई भत्ता	7.38	3.07	3.07
04-यात्रा व्यय	1.20	0.50	0.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

05-स्थानान्तरण का व्यय	0.50	0.20	0.20
06-अन्य भत्ते	9.39	3.91	3.91
07-मानदेय	0.10	0.04	0.04
08-कार्यालय व्यय	0.50	0.20	0.20
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	0.30	0.12	0.12
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.35	0.14	0.14
13-टेलीफोन व्यय	0.50	0.20	0.20
14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	0.01	-----	-----
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	2.50	1.04	1.04
42-अन्य व्यय	0.10	0.04	0.04
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं प्रासंगिक व्यय	0.20	0.08	0.08
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.60	0.66	0.66
49-चिकित्सा व्यय	5.00	2.08	2.08
51-वर्दी व्यय	0.05	0.02	0.02
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	8.90	-----	-----
योग-0302	**186.18**	**73.80**	**73.80**
योग-301$302	**247.87**	**98.24**	**85.44**
05-प्रभागीय तथा जिला मुख्यालय (25 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति) 0501-सामान्य			
01-वेतन	1122.73	467.80	467.80
02-मजदूरी	4.50	1.87	1.87
03-मंहगाई भत्ता	56.14	23.39	23.39
04-यात्रा व्यय	3.00	1.25	1.25
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.50	0.62	0.62
06-अन्य भत्ते	61.20	25.50	25.50
07-मानदेय	-------	-----	-----
08-कार्यालय व्यय	1.50	0.62	0.62
09-विद्युत देय	5.00	2.08	2.08
10-जलकर/जलप्रभार	0.65	0.27	0.27
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.80	0.33	0.33
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.75	0.31	0.31
13-टेलीफोन पर व्यय	3.00	1.25	1.25
14-मोटर गाडियों का क्रय	0.01	-----	-----
15-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	6.25	2.60	2.60
16-व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	0.50	0.20	0.20
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	2.60	1.08	1.08

http://shasanadesh.up.nic.in

26-मशीन और सज्जा उपकरण और संयंत्र	3.40	1.41	1.41
29-अनुरक्षण	2.00	0.83	0.83
42-अन्य व्यय	0.40	0.16	0.16
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5.00	2.08	2.08
45-अवकाश यात्रा व्यय	2.50	1.04	1.04
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	0.50	0.20	0.20
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.85	0.35	0.35
49-चिकित्सा व्यय	6.00	2.50	2.50
51-वर्दी व्यय	0.01	-----	-----
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	**67.71**	-----	
योग-0501	**1358.50**	**537.74**	**537.74**
महायोग-301$302 $0501	**1606.37**	**635.98**	**623.18**
रू0-6,23,18,000/- (रू0 छः करोड़ तेइस लाख अठ्ठारह हजार मात्र)			

(सुनील यादव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।